

ब्यूज टुडे

वर्क-लाइफ संतुलन से जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर भारत में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' की मांग बढ़ रही है

कार्य संबंधी तनाव के कारण एक युवा महिला कर्मचारी की मृत्यु के चलते भारत में अलग-अलग वर्गों ने 'राइट टू डिस्कनेक्ट' पर कानून लाने की मांग की है।

► 'राइट टू डिस्कनेक्ट' का अर्थ है कि कर्मचारी वर्किंग ऑवर के बाद नियोक्ता द्वारा की गई कॉल का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होंगे और ऐसे कर्मचारी पर नियोक्ता द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं की जाएगी।

भारत में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' की आवश्यकता क्यों है?

- मनोसामाजिक प्रभाव: अधिक कार्य के बोझ से सामाजिक बंधन कमजोर होते हैं और अलगाव की स्थिति पैदा होती है। यहां तक कि इससे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, हृदय संबंधी बीमारियों आदि का खतरा भी बढ़ सकता है।
- महिलाओं पर प्रभाव: एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि ऑडिटिंग, आई.टी. और मीडिया जैसी पेशेवर नौकरियों में भारतीय महिलाएं सप्ताह में 55 घंटे से अधिक काम करती हैं।
- अन्य: इसमें उत्पादकता की हानि; लंबे समय तक स्क्रीन पर रहने के कारण अनिद्रा, नींद के चक्र में व्यवधान आदि शामिल हैं।

भारत में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' की स्थिति

वर्तमान में भारत में राइट टू डिस्कनेक्ट को मान्यता देने वाले कानूनों का अभाव है।

► संवैधानिक प्रावधान:

- ⊕ अनुच्छेद 38: यह राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- ⊕ अनुच्छेद 39(e): यह राज्य को कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश देता है।

► न्यायिक निर्णय:

- ⊕ विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, 1997: इसमें महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक फैसला दिया गया था।
- रविंद्र कुमार धारीवाल और अन्य बनाम भारत संघ, 2021: इसमें दिव्यांग व्यक्तियों को तार्किक सुविधा प्रदान करने तथा उनके लिए एक अनुकूल कार्यस्थल सुनिश्चित करने हेतु फैसला दिया गया था।

► हालिया पहल: 2018 में, लोक सभा में एक गैर-सरकारी विधेयक (Private Member's Bill) पेश किया गया था। इसका उद्देश्य वर्किंग ऑवर के बाद 'राइट टू डिस्कनेक्ट' को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना था।

'राइट टू डिस्कनेक्ट' पर वैश्विक स्थिति

- फ्रांस: 2001 में फ्रांसीसी सुप्रीम कोर्ट के लेबर चैंबर ने फैसला सुनाया कि कर्मचारी घर से काम करने या फाइलें और उपकरण घर ले जाने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- पुर्तगाल: यहां 'राइट टू डिस्कनेक्ट' पर कानून मौजूद है। इसके तहत नियोक्ताओं के लिए आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, वर्किंग ऑवर के बाद कर्मचारियों से संपर्क करना अवैध है।
- स्पेन: सार्वजनिक कर्मचारियों और कामगारों को अपने उपकरण बंद करने का अधिकार है।
- ऑस्ट्रेलिया: संसद ने कर्मचारियों को वर्किंग ऑवर के बाद राइट टू डिस्कनेक्ट अधिकार दिया है।

इसरो (ISRO) ने CE20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया

हाल ही में, इसरो ने अपने CE20 क्रायोजेनिक इंजन का सी-लेवल हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। यह परीक्षण तमिलनाडु के महेन्द्रगिरि स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया।

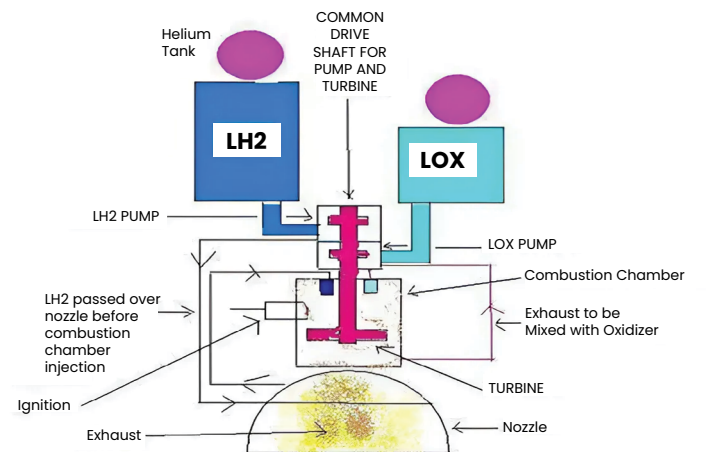
क्रायोजेनिक इंजन के बारे में

- क्रायोजेनिक तकनीक में बहुत कम तापमान पर रॉकेट प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन (LOX) और लिक्विड हाइड्रोजन (LH2) को ऑक्सिडाइजर एवं ईंधन के रूप में अलग-अलग अनुपातों में मिलाया जाता है।
- गौरतलब है लिक्विड ऑक्सीजन -183°C से कम तापमान पर द्रव अवस्था में बना रहता है। वहीं लिक्विड हाइड्रोजन -253°C से कम तापमान पर द्रव अवस्था में बना रहता है।

CE20 क्रायोजेनिक इंजन की विशेषताएं

- इंजन के फिरो से शुरू होने की क्षमता: यह मल्टी-पुलिमेंट इग्नाइट से युक्त है, जो इंजन को फिरो से शुरू करने में सहायक है। यह गगनयान जैसे मिशनों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इससे अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट सही से काम कर सकता है।
- नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम: रॉकेट इंजन नोजल के भीतर फ्लो सेपरेशन और होने वाले कंपन को रोकने के लिए एक नवीन नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया गया। इससे इंजन के प्रदर्शन और परीक्षण दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए क्रायोजेनिक इंजन का महत्त्व
 - अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा: क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट की दक्षता और श्रस्ट को बढ़ाते हैं। इससे भारत अधिक पेलोड्स वाले गगनयान, अन्य स्पेसक्राफ्ट्स और अन्य ग्रहों के लिए शक्तिशाली मिशनों को लॉन्च कर सकता है।
 - स्वदेशी विकास और आत्मनिर्भरता: क्रायोजेनिक तकनीक में भारत को विशेषज्ञता मिलने से विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम होगी।
 - ⊕ भारत छठा देश है, जिसने अपने स्वयं के क्रायोजेनिक इंजन विकसित किए हैं। अन्य पांच देश हैं- संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जापान।
 - पेलोड क्षमता में वृद्धि: क्रायोजेनिक इंजन उच्च विशिष्ट आवेग (Higher specific impulse) प्रदान करते हैं। इससे रॉकेट भारी पेलोड ले जाने में सक्षम होते हैं।

क्रायोजेनिक इंजन की कार्यप्रणाली



सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग पर उसके निर्णय को लागू नहीं करना न्यायालय की अवमानना माना जायेगा

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग पर अक्टूबर 2023 के उसके निर्णय को लागू करने में विफल रहने पर केंद्र सरकार को न्यायालय की अवमानना संबंधी कार्यवाई का सामना करना पड़ सकता है

- गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ मामले में मैनुअल स्कैवेंजिंग पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया था।
 - इसमें कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग और खतरनाक तरीके से सीवर की सफाई की कुप्रथा को खत्म करने का निर्देश दिया था।
- हालिया निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नमस्ते (NAMASTE) योजना शुरू करने के बावजूद इस कुप्रथा का उन्मूलन कहीं भी नहीं हुआ है। यहां तक कि एक भी नगर पालिका में इसका उन्मूलन नहीं हुआ है।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग (हाथ से मैला उठाने) के बारे में
 - परिभाषा: “मैनुअल स्कैवेंजिंग” से आशय किसी व्यक्ति को अस्वच्छ शौचालय में या खुले नाले या गड्ढे में या रेलवे ट्रैक आदि पर मानव मल को हाथ से हटाने, उठाने या किसी भी तरीके से उसके निपटान के लिए नियोजित करने से है।
 - वर्तमान स्थिति: 2021 में भारत में 58,098 मैनुअल स्कैवेंजर्स थे। इनमें 75% महिलाएं थीं। 2018-22 के बीच सीवर और सेंट्रिक टैंक की सफाई करते समय 339 लोगों की मौत हो गई थी।
 - संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन: मैनुअल स्कैवेंजिंग मुख्य रूप से अनुच्छेद 17 के तहत ‘अस्पृश्यता का उन्मूलन’ और अनुच्छेद 21 “गरिमा के साथ जीवन जीने” जैसे मूल अधिकारों का उल्लंघन है।
 - डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश:
 - सीवर की सफाई के दौरान होने वाली मौतों के मामलों में मृत कर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाए।
 - सीवर की सफाई के दौरान दुर्घटना में स्थायी दिव्यांगता और अन्य प्रकार की दिव्यांगता के लिए मुआवजा राशि क्रमशः 20 लाख रुपये व 10 लाख रुपये निर्धारित की जाए।
 - पीड़ित कर्मियों और उनके परिजनों का पुनर्वास किया जाए। कर्मियों के परिवार के बच्चों को छात्रवृत्तियां तथा कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाने चाहिए।
 - हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013
 - इस कानून के तहत मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि, सुरक्षात्मक गियर के साथ मानव मल की सफाई को मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं माना गया है।
 - इस कानून के उल्लंघन पर सजा के तौर पर 2 साल तक की जेल हो सकती है या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है अथवा दोनों हो सकते हैं।

नेशनल एक्शन प्लान मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते/ NAMASTE)

- नोडल मंत्रालय: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)
- उद्देश्य: असुरक्षित तरीके से इंसानों द्वारा सीवर या सेंट्रिक टैंक की सफाई की प्रथा को खत्म करना; सीवर और सेंट्रिक टैंक की सफाई के समय श्रमिकों की मौतों को रोकना तथा उनकी सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करना।
- योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना।
- नोडल कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम (NSKFDC)।
- योजना की अवधि: 2022-23 से 2025-26 तक।

भारत ने विश्व की पहली ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी शुरू की

केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी (या वर्गीकरण) शुरू की है।

ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी की मुख्य विशेषताएं

- ग्रीन स्टील की परिभाषा: स्टील की ग्रीननेस को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा। यह इस डेटा पर आधारित होगा कि स्टील प्लांट की कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (CO₂e) उत्सर्जन तीव्रता, प्रति टन फिनिशड स्टील से 2.2 टन CO₂e उत्सर्जन की सीमा से कितनी कम है।
- स्टार रेटिंग सिस्टम: यह फिनिशड स्टील की ग्रीननेस पर आधारित होगी। स्टार रेटिंग के लिए उत्सर्जन सीमा की समीक्षा हर तीन साल में की जाएगी। वर्तमान सीमा इस प्रकार है:
 - फाइव स्टार ग्रीन-रेटेड स्टील: प्रति टन फिनिशड स्टील से 1.6 टन CO₂e से कम उत्सर्जन तीव्रता वाला स्टील।
 - फोर स्टार ग्रीन-रेटेड स्टील: प्रति टन फिनिशड स्टील से 1.6 और 2.0 टन के बीच CO₂e की उत्सर्जन तीव्रता वाला स्टील।
 - थ्री स्टार ग्रीन-रेटेड स्टील: प्रति टन फिनिशड स्टील से 2.0 और 2.2 टन के बीच CO₂e की उत्सर्जन तीव्रता वाला स्टील।
- नोडल एजेंसी: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी (NISST) माप, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) तथा ग्रीननेस सर्टिफिकेट (प्रतिवर्ष जारी) एवं स्टार रेटिंग जारी करने के लिए नोडल एजेंसी होगी।

ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का महत्व

- राष्ट्रीय ग्रीन स्टील मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक: यह शीघ्र जारी होने वाली ‘ग्रीन स्टील नीति’ के तहत 15,000 करोड़ रुपये के व्यय वाला प्रस्तावित मिशन है। इसका उद्देश्य स्टील उद्योग के विकार्बनीकरण (Decarbonisation) में मदद करना होगा।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी: यूरोपीय संघ की कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसी वैश्विक नीतियों के तहत अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले उत्पादों के आयात पर उच्च कर लगाए जा रहे हैं। ग्रीन स्टील अपनाने से भारतीय स्टील को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलेगी।
 - साथ ही, यह टैक्सोनॉमी भारत को ग्रीन स्टील निर्माण में अग्रणी बनाएगी।
- नवाचार और विकास को बढ़ावा देगी: यह ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी स्टील उत्पादन में व्यापक बदलाव सुनिश्चित करेगी। इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, और भारत में कम कार्बन उत्सर्जन वाले उत्पादों के लिए एक बाजार तैयार होगा।

भारत में स्टील क्षेत्रक के विकार्बनीकरण के लिए शुरू की गई मुख्य पहलें

- राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (NMEER): यह राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) के 8 मिशनों में शामिल है।
- परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT) योजना: यह NMEER के तहत बाजार आधारित तंत्र है। इसका उद्देश्य ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्रों (ESCs) के माध्यम से ऊर्जा दक्षता बढ़ाना है।
- अन्य पहलों में शामिल हैं: ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, नेशनल सोलर मिशन, स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति, 2019 आदि।



केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ चुनाव आयोजित करने से संबंधित विधेयकों को मंजूरी दी

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के एक साथ चुनाव आयोजित करने से संबंधित दो विधेयकों को मंजूरी दी है।

- इनमें से एक विधेयक का उद्देश्य एक साथ चुनाव कराने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को संशोधित करना है। दूसरे विधेयक द्वारा उन केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कानूनों के प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा, जहां विधान सभाएं हैं, ताकि अन्य विधान सभाओं के साथ उनके कार्यकाल को संरेखित किया जा सके।
- इससे पहले, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति ने लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने हेतु एक रोडमैप की सिफारिश की थी।
- एक साथ चुनाव कराने का अर्थ है लोक सभा, सभी राज्य विधान सभाओं तथा स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ आयोजित कराना।

एक साथ चुनाव की आवश्यकता

- शासन पर प्रभाव: बार-बार चुनाव होने से विकास कार्यों में बाधा व देरी होती है तथा आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होने के कारण नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं।
- वित्तीय बोझ: एक साथ चुनाव कराने से धनराशि का अधिक प्रभावी और तर्कसंगत उपयोग होगा, जिसे अन्य विकास कार्यों में लगाया जा सकता है।
- मानव संसाधन: एक साथ चुनाव होने से सुरक्षाबलों और अन्य चुनाव अधिकारियों (जैसे शिक्षकों) को लंबे समय तक उनके प्राथमिक कर्तव्यों से दूर नहीं रहना पड़ेगा।
- अन्य: मतदाता भागीदारी में वृद्धि, अदालतों पर कम बोझ, आदि।

एक साथ चुनाव से जुड़ी चिंताएं निम्नलिखित हैं:

- इससे क्षेत्रीय दलों की चुनावी संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;
- 5 साल में एक बार लोक जांच के कारण राजनीतिक जवाबदेही में कमी आ सकती है;
- बड़ी संख्या में EVMs की आवश्यकता जैसे तार्किक मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं आदि।

राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें

- संवैधानिक संशोधन: संविधान के तीन प्रमुख अनुच्छेदों में संशोधन करने की सिफारिश की गई है। इन संशोधनों के तहत 12 नए उपखंड शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा, विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित तीन कानूनों में बदलाव करना होगा।
- एकल मतदाता सूची: यह सूची संविधान के अनुच्छेद 325 में संशोधन करके भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य निर्वाचन आयोगों के परामर्श से तैयार की जाएगी।
- नगर पालिकाओं और पंचायतों के एक साथ चुनाव: इन दोनों के चुनाव लोक सभा और विधान सभाओं के एक साथ चुनाव होने के 100 दिनों के भीतर आयोजित किए जाएंगे।
- नियत तिथि: लोक सभा और विधान सभा चुनावों को समकालिक करते हुए, राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोक सभा की पहली बैठक की तारीख को नियत तिथि के रूप में अधिसूचित करेंगे।
- नए चुनाव: त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव आदि की स्थिति में केवल शेष कार्यकाल के लिए नई लोक सभा का गठन किया जाएगा।

प्रधान मंत्री ने कहा जल जीवन मिशन, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बना रहा है

इससे पहले SBI की एक रिपोर्ट में भी बताया गया था कि 'जल जीवन मिशन: हर घर जल' पहल के कारण 9 करोड़ महिलाओं को अब बाहर से पानी लेने नहीं जाना पड़ता है।

महिला सशक्तीकरण के लिए जल जीवन मिशन (JJM) का महत्त्व

- कौशल विकास: घर पर पानी की उपलब्धता महिलाओं को कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करती है।
 - इसके अलावा, समय की बचत से कृषि और व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- नेतृत्व: JJM के तहत गांव की जल एवं स्वच्छता समितियों में 50% महिलाओं का होना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य जल नियोजन में महिलाओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना और उनमें नेतृत्व की भूमिका को बढ़ाना है।
- रोजगार के अवसर: JJM के तहत 59.9 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इससे महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर बढ़ेंगे।

जल जीवन मिशन: हर घर जल पहल के बारे में

- नोडल मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय।
- प्रकार: केंद्र प्रायोजित योजना।
- उद्देश्य: 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और विश्वसनीय नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- लक्ष्य: 'WASH के प्रति जागरूक गांवों' का विकास करना, जहां स्थानीय समुदायों को सभी के लिए दीर्घकालिक और सुनिश्चित जलापूर्ति एवं स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम बनाया जा सके।
 - WASH: जल, साफ-सफाई और स्वच्छता।
- बच्चों पर ध्यान: स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में नल से जलापूर्ति करना।
- प्रमुख घटक:
 - जल गुणवत्ता सुनिश्चित करना;
 - बॉटम-अप प्लानिंग;
 - स्रोत संबंधी संधारणीयता;
 - ग्रे वाटर प्रबंधन;
 - कौशल विकास और रोजगार आदि।
- प्रमुख उपलब्धियां: ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल कनेक्शन का कवरेज 2019 के 17% (3.23 करोड़ घरों) से बढ़कर 79.31% हो गया है।



अन्य सुर्खियां



अनुपूरक अनुदान (Supplementary Grant)

हाल ही में, केंद्र सरकार ने अनुपूरक अनुदानों की मांग के रूप में निवल अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी।

अनुपूरक अनुदानों के बारे में

- संविधान के अनुच्छेद 115 के तहत अनुपूरक अनुदान की मांग तब की जाती है जब उस वित्त वर्ष के लिए संसद द्वारा किसी विशेष सेवा हेतु पहले से अधिकृत आवंटन पर्याप्त नहीं पाया जाता है।

अनुच्छेद 115 के तहत अन्य अनुदान

- अतिरिक्त अनुदान (Additional Grant): इसका अनुरोध तब किया जाता है, जब उस वर्ष के बजट में उल्लेख नहीं की गई कुछ नई सेवाओं के लिए अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होती है।
- अधिक अनुदान (Excess Grant): जब किसी वर्ष के बजट में किसी सेवा के लिए आवंटित राशि से अधिक धन पहले ही खर्च किया जा चुका हो, तब इस अनुदान का अनुरोध किया जाता है।



शेंगेन ज़ोन (Schengen Zone)

बुल्गारिया और रोमानिया 1 जनवरी, 2025 से शेंगेन के पूर्ण सदस्य बन जाएंगे।

शेंगेन ज़ोन के बारे में

- यह विश्व में सीमारहित सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह क्षेत्र 400 मिलियन से अधिक लोगों को वीजा-मुक्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है।
 - शेंगेन लक्जमबर्ग के एक गांव का नाम है। इसी गांव में 1985 में शेंगेन समझौते और 1990 में शेंगेन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- सदस्य: इसके 29 सदस्य हैं।
 - यूरोपीय संघ (EU) के 27 सदस्य देशों में से 25 देश इसके सदस्य हैं। EU के दो सदस्य साइप्रस और आयरलैंड शेंगेन के सदस्य नहीं हैं।
 - इसके अन्य 4 सदस्य हैं: स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेन्स्टाइन। ये EU के सदस्य नहीं हैं।
- कॉमन शेंगेन वीजा: जो व्यक्ति यूरोपीय संघ के देशों के नागरिक नहीं हैं, वे इस वीजा के जरिए सीमा पर बिना चेकिंग के शेंगेन से संबद्ध देशों की यात्रा कर सकते हैं।



लताकिया बंदरगाह

हाल ही में, इजरायल की सेना ने सीरिया के कई प्रमुख सैन्य अड्डों पर हमला किया। इनमें लताकिया बंदरगाह पर सीरियाई नौसेना के जहाज भी शामिल हैं।

लताकिया बंदरगाह के बारे में

- अवस्थिति: यह पश्चिम सीरिया में पूर्वी भूमध्यसागरीय तट पर स्थित है। इसके पास विशाल कृषि क्षेत्र स्थित है।
- यह सीरिया का प्रमुख बंदरगाह है।
 - यहां से बिटुमेन व डामर (अस्फाल्ट), अनाज, कपास, फल, अंडे, वनस्पति तेल, मिट्टी के बर्तन और तंबाकू निर्यात किए जाते हैं।
 - इस बंदरगाह शहर के स्थानीय उद्योग हैं- कपास की ओटाई, वनस्पति तेल प्रसंस्करण, चमड़ा उत्पादन और स्पेंज फिशिंग।
- भूमध्यसागरीय क्षेत्र में स्थित सीरिया के अन्य बंदरगाह: टार्टस और बनियास।



S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम

भारत के रक्षा मंत्री ने रूस से S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली की दो शेष यूनिट्स की आपूर्ति में तेजी लाने का आग्रह किया।

- यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है।
- S-400 मिसाइल प्रणाली के बारे में
 - इस मिसाइल का डिज़ाइन रूस ने तैयार किया है।
 - विशेषताएं: बड़ी रेंज और अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। इसके अलावा यह मल्टी-चैनल, हाई मोबिलिटी और सुरक्षित बच निकलने की क्षमता से युक्त है।
 - मार्गदर्शन प्रणाली: कमांड और सक्रिय रडार द्वारा।
 - इस मिसाइल प्रणाली में शामिल हैं: निगरानी रडार, कम ऊंचाई वाला रडार, फ्लैप लिड के साथ फायर कंट्रोल रडार आदि।
 - रेंज और क्षमता: यह 3,000-3,500 किलोमीटर तक की रेंज में स्थित सभी प्रकार के एयरोडायनेमिक लक्ष्यों और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने वाली यूनिवर्सल मिसाइल है।



आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम (ATACMS)

रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन ने आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम (ATACMS) मिसाइलों से दक्षिणी रूस के टेगानोवो में एक सैन्य हवाई क्षेत्र पर हमला किया है।

- इस मिसाइल की आपूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी।
- ATACMS मिसाइलों के बारे में
 - इसका निर्माण अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने किया है।
 - यह 300 किलोमीटर की रेंज तक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।
 - यह बैलिस्टिक मिसाइल किसी निर्धारित लक्ष्य पर वारहेड्स पहुंचाने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन यानी गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करती है।
 - लॉन्च प्लेटफॉर्म: इसे हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम (HIMARS) और M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम (MLRS) से लॉन्च किया जा सकता है।



धरनी (DHARANI)

IIT मद्रास विश्व का पहला ऐसा शोध संगठन बन गया है, जिसने 'धरनी (DHARANI)' नामक ओपन-सोर्स ब्रेन मैपिंग डेटासेट जारी किया है।

धरनी (DHARANI) के बारे में:

- धरनी मानव भ्रूण के मस्तिष्क का सबसे बड़ा ओपन-एक्सेस डिजिटल डेटासेट है।
- इसे पूरी तरह से कस्टम-मेड भारतीय तकनीक के साथ विकसित किया गया है।
- इसे विकसित करने में अमेरिका स्थित एलन ब्रेन एटलस के लिए उपयोग किए गए धन का माल 10वां हिस्सा खर्च किया गया है।
- यह तंत्रिका विज्ञान संबंधी अनुसंधान को नए आयाम देगा तथा मस्तिष्क से संबंधित स्वास्थ्य उपचार और चिकित्सा अनुसंधान में सहायता करेगा।
- यह ऑटिज्म जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों और अन्य विकास संबंधी विकारों को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा।



FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप

18 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी गुक्तेश डोमराजू ने चीन के डिंग लिरेन को हराकर दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया।

- गुक्तेश ने 12 वर्ष की उम्र में ग्रैंडमास्टर का खिताब जीता था। यह भारतीय शतरंज में उनकी असाधारण प्रतिभा को दर्शाता है। गुक्तेश 1886 में पहली विश्व चैंपियनशिप के बाद से 18वें विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं।
- FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 2.5 मिलियन डॉलर की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है।
- अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) के बारे में
 - मुख्यालय: लॉज़ेन (स्विट्जरलैंड)।
 - उत्पत्ति: वर्ष 1924 में पेरिस में स्थापित। इसका आदर्श वाक्य है- 'वी आर वन फैमिली'।
 - भूमिका: यह अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं का आयोजन और संचालन करता है। यह फुटबॉल, क्रिकेट, तैराकी और ऑटो रेसिंग के साथ-साथ सबसे पुराने वैश्विक खेल संघों में से एक है।
 - मान्यता: 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा एक वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी।
 - सदस्यता: अखिल भारतीय शतरंज महासंघ सहित 201 देश शामिल हैं।



अबथसायेश्वर मंदिर

1,300 साल पुराने अबथसायेश्वर मंदिर को 2024 यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इस मंदिर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संरक्षण के लिए दिया गया है।

- मंदिर के बारे में
 - अवस्थिति: यह मंदिर तुक्काची, तंजावुर जिले (तमिलनाडु) में स्थित है।
 - ऐतिहासिक नाम: तुक्काची को चोल साम्राज्य के दौरान विक्रम चोलीस्वरम और कुलोत्तुंग चोल नल्लूर तुक्काची के नाम से जाना जाता था।
 - निर्माण: मंदिर का निर्माण राजा विक्रम चोल और कुलोत्तुंग चोल ने करवाया था।
 - कुलोत्तुंग ने सरबेश्वर के लिए एक प्रतिमा स्थापित कराई थी, यही कारण है कि इस देवता को आदि सरबेश्वर कहा जाता है।
 - मंदिर की अनूठी विशेषताएं: संरचनात्मक संरक्षण में हिंदू मंदिर निर्माताओं (स्थपति) के ज्ञान और तकनीकों को लागू किया गया है।

सुर्खियों में रहे स्थल



निकारागुआ (राजधानी: मानागुआ)

भारत और निकारागुआ ने त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओं (QIPs) को लागू करने के लिए एक अम्ब्रेला समझौते पर हस्ताक्षर किए।

निकारागुआ के बारे में

- भौगोलिक अवस्थिति
 - अवस्थिति: यह मध्य अमेरिका में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य अमेरिकी गणराज्यों में सबसे बड़ा है।
 - सीमावर्ती राष्ट्र: उत्तर में होंडुरास और दक्षिण में कोस्टा रिका।
 - सीमावर्ती जल निकाय: पूर्व में कैरेबियन सागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर।
 - सदस्यता: यह सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम (SICA), कम्युनिटी ऑफ़ लैटिन अमेरिकी एंड कैरेबियन स्टेट्स (CELAC), विश्व व्यापार संगठन (WTO), आदि का सदस्य है।
- भौगोलिक विशेषताएं
 - जलवायु: इसके पश्चिमी भाग की तुलना में इसका पूर्वी भाग अधिक ठंडा और आर्द्र है।
 - प्रमुख झीलें: लागो डी निकारागुआ और लागो डी मानागुआ।
 - प्रमुख नदियां: नीग्रो, टेरो रियल, टैमारिंडो, आदि।
 - सबसे ऊंची चोटी: मोगोटन पीक।



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची